

पटना नगर निगम

پتنہ میونسپل کارپوریشن

PATNA MUNICIPAL CORPORATION



04

Letter No. / पत्रांक: 07220

Date / दिनांक: 05/06/2021

संचिका सं०- P-/RAJAPUR-PRN- 1B+G+3/258/2020

सेवा में,

SRI MADAN MURARI SINGH

S/O-LATE AWADH BIHARI SINGH,

Add.-RAM KRISHNA PATH, NORTH S.K.PURI,

P.O- PATLIPUTRA,P.S.-KRISHNAPURI, Distt. Patna.

विषय :-

प्लॉन केस सं०- P/RAJAPUR-PRN-1B+G+3/258/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या- PMC BPAS-00658/2020/BP की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P/RAJAPUR-PRN-1B+G+3/258/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या- PMC BPAS-00658/2020/BP के संदर्भ में **SRI MADAN MURARI SINGH**, S/O-LATE AWADH BIHARI SINGH, Add.-RAM KRISHNA PATH, NORTH S.K.PURI, P.O- PATLIPUTRA,P.S.-KRISHNAPURI, Distt. Patna., पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित.....विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-856, खाता सं०-35, तौजी सं०-5453, थाना संख्या-03, मौजा- RAJAPUR, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **548.39** वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **6.12** मीटर से **6.17** मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **शून्य** वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) भवन उपविधि के कंडिका-09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/ बिल्डर की होगी।

Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.

- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

- (ज) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवार आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कर् जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,


(Signature)

निदेशक,


शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

M/S. ANADH DEVELOPERS

(Signature)
PARTNER




East Side Elevation (Front Elevation)
SCALE=1 : 100



SECTION -Y-Y


SCALE=1 : 100




KEY PLAN

SCALE= 1:330"


विल्डर/प्रोग्रेटर/भू-स्वामी/संबंधित वास्तुविद/अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि भवन के निर्माण तथा उपयोग में लाने के पूर्व आयासी/चरमर/भू-स्वामी/संबंधित वास्तुविद/अभियंता की दृष्टि से, प्रवेश द्वार निहाय द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट, पार्किंग प्रत्येक फ्लोर, गेट के बाहर की ओर लोकेसन के साथ तथा अन्य वांछित महत्वपूर्ण स्थानों पर उच्च मानक के C.C.T.V. कैमरा का अधिष्ठापन करेगे अथवा संबंधित एजेंट को बाईलॉज के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करवाएंगे।




BASEMENT PLAN



GROUND FLOOR PLAN



1ST TO 3RD FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

SPECIFICATION

1. R.C.C UNDER REMMED FILE FOUNDATION AS PER DETAIL GIVEN IN THIS DRAWING.
2. 1ST CLASS BRICK WORK IN CEMENT MORTAR(1:6) IN SUPER STRUCTURE.
3. HEIGHT OF PLINTH FLOOR AREA SHOWN IN SECTION.
4. 0.03 L.P.S. FLOORING OVER 0.75 DRY REMMED KHOKHA OVER FLAT BRICK SOLING OVER LOCAL SAND FILLING.
5. 0.050 TH D.P.C. ON P.L. ALL ROUND THE BUILDING.
6. 0.110 TH LINE CONCRETE OVER 0.100 TH R.C.C. SLAB.
7. 0.15 TH R.C.C. BAND AT DOORS & WINDOWS OPENINGS.
8. 0.12 CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF WALL.
9. WHITE & COLOUR WASH AS PER CHOICE.

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

SL.NO.	TYPE	WIDTH	SILL	HEIGHT
1.	D	1.05	0.00	2.13
2.	D1	0.90	0.00	2.13
3.	D2	0.75	0.00	2.13
4.	W1	1.35	0.76	1.53
5.	W2	0.90	0.90	1.53
6.	W3	0.60	1.53	1.22

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA AS PER DEED = 809.68 SQM.
 TOTAL PLOT AREA AS PER SITE = 809.53 SQM.
 TOTAL PLOT AREA AS PER MAP = 804.55 SQM.
 TOTAL BASEMENT FLOOR B/U AREA = 38.25 SQM.
 TOTAL GROUND FLOOR B/U AREA = 210.98 SQM.
 TOTAL 1ST FLOOR B/U AREA = 453.15 SQM.
 TOTAL 2ND FLOOR B/U AREA = 453.15 SQM.
 TOTAL 3RD FLOOR B/U AREA = 453.15 SQM.
 TOTAL BUILT UP AREA = 1608.68 SQM.
 F.A.R. ACHIEVED = 1.998

BARBATI ON TERRACE = 20.00 SQM.

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF
 M/S AWADH DEVELOPERS,
 Partner-SRI MADAN MURARI SINGH,
 S/O Late AWADH BIHARI SINGH & SRI SUNIL
 KUMAR SINGH, S/O Late JAY MANGAL SINGH
 AT- S.PLOT NO-856, THANA NO-03,
 KHATA NO-35,TAUJI NO-5453
 MAUZA- RAJAPUR (GANDHI NAGAR),
 SURVEY THANA-PHULWARI,
 NEW-SRIKRISHNAPURI
 DIST-PATNA

NORTH
 SCALE 1:100
 SHEET NO. 01/02

SIGN. OF STRE. ENGG.
 SIGN. OF ARCH.
 SIGNATURE OF DEVELOPER

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
 PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DISCLOSED)
 PRA. P. No. PR-1374+325/2020
 Sanction of Plan Accorded under Section
 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007
 by the Municipal Commissioner, Patna on.....
 Date..... 05.06.2021.....
 SANCTION OF PLAN ACCORDED

निदेशक
 शहरी योजना
 पटना नगर निगम, पटना
 05.06.21

05.06.2021
 राजेश कुमार 'बी'
 प्रशासक
 शहरी योजना
 पटना नगर निगम